जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स ओम ग्रेनाईट, प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की कलस्टर मय खनन् परियोजना, प्लॉट नं. – 30 (एम. एल. नं. – 40/2022), क्षेत्रफल – 1.39711 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 169512 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल – 5. 53438 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 661886 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम–सूरजगढ़, तहसील – रियांबड़ी, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रियांबड़ी, जिला नागौर की अध्यक्षता में दिनांक 02.03.2023 को दोपहर 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), गांव–अलनियावास, तहसील–रिंयाबड़ी, जिला–नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण :–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/342 दिनांक 16.01.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–143/1982 दिनांक 18.01.2023 के अनुपालना में मैसर्स ओम ग्रेनाइट प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाइट) प्लॉट नं. – 30 (एम. एल. नं. – 40/2022), क्षेत्रफल – 1.39711 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 169512 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल – 5.53438 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 661886 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम–सूरजगढ़, तहसील – रियांबड़ी, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 02.03.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01** पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र एवं द इण्डियन एक्सप्रैस समाचार पत्र में दिनांक 21 जनवरी 2023 (शनिवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02** पर संलग्न है।

Denita

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री गौरी शंकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियांबाड़ी, जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि कुमार के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री गौरी शंकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियानबाड़ी जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला—नागौर

में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित उपस्थित व्यक्तियों में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार है:–

1. श्री ब्रहदेव शर्मा निवासी आलनियावास ने सुझाव दिया कि जो पौधारोपण सार्वजनिक स्थानो पर लगाये जाए उनमे पंचायत की सहभागिता रखी जाये तथा गांव के विकास कार्यक्रमो में भी पंचायत की सहभागिता दर्ज की जाए।

2. श्री जितेन्द्र कुमार निवासी आलनियावास ने कहा की पूर्व की अन्य खनन परियोजनाओ द्वारा खनन के दौरान मलबा खनन क्षेत्र के बाहर डाला जाता है जिसे रोका जाए तथा इस क्षेत्र में खनन परियोजनाओ की सींमाकन जैसे उनके पिलर या तारबंदी द्वारा पाबंद किया जाए व रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को ही प्राथमिकता दी जाए। क्षेत्र के कुशल श्रमिको को भी रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। डीएमएफटी के पैसे से सामूदायिक भवन, स्कूल कमरों का निर्माण करवाया जाये एवं यहां से मिनरल निकाला जाता है तो डीएमएफटी का पैसा भी यही लगना चाहिए।

3. श्री अजय सिंह निवासी ग्राम पंचायत लाडपुरा ने बताया कि खनन क्षेत्र में पूर्व में किये गये खनन दौरान सड़को का नुकसान हुआ है तथा गांव के आने जाने वाले रास्तों पर चलने वाले ट्रक जो माल भरकर लेके जाते है वो माल को ढक कर ले जाये जिससे धुल मिट्टी कम उड़ेगी जिससे आने जाने वाले लोगो को परेशानी कम होगी। अतः सड़को की मरम्मत करवाई जाए एवं रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को ही प्राथमिकता दी जाए।

4. श्रीमति मुन्नी देवी गोदारा प्रतिनिधि परियोजना प्रस्तावक ने कहा की रोजगार हेतु स्थानीय निवासियो को ही प्राथमिकता दी जाएगी तथा स्थानीय नागरिकों साथ मिलकर उनके हित के अनुरूप ही कार्य किया जायेगा

6. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ने जनसुनवाई में उपस्थित लोगो का आभार व्यक्त किया व कहा कि इस परियोजनाओ द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यो को ग्राम पंचायत एवं गांव के

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

स्थानीय निवासियो की सहभागिता से किये जाने हेतु कहा व प्रशासन द्वारा समय–समय पर इन विकास कार्यो की निगरानी की जाएगी एवं सम्बधित विभागो को समय–समय पर इन कार्यो की पूर्ण रूप से पालना करवाने हेतु सुझाव दिया।

7. परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया की जो भी विकास कार्य पर्यावरण संरक्षण के तहत एवं सामाजिक दायित्वो के तहत बताए गए है वे पर्यावरणीय अन्नापत्ति प्रमाण पत्र में सम्बधिंत विभाग द्वारा लिखित में दिया जाएगा एवं समय–समय पर इनकी पालना भी की जाएगी व इसकी रिपार्ट सम्बधित विभागो को भी समय–समय पर भेजी जाएगी। व परियोजना प्रस्तावक इन शर्तो की पालना हेतु बाध्य रहेगा।

जनसनुवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/ अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए है।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों/व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री गौरी शंकर शर्मा उप खंड अधिकारी रियानबाड़ी नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री गौरी शंकर शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
रियानबाड़ी नागौर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रियाबड़ी(नागौर)
(राज.)

श्रीमती सविता
Savita
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर,

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री ओम ग्रेनाईट, गांव–सूरजगढ़, तहसील–रियांबडी, जिला–नागौर के "ग्रेनाईट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट एम.एल. नं. 40/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 169512 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल – 1.39711 हैक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 661886 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 5.53438 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–अलनियावास, तहसील– रियांबडी, जिला–नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 02.03.2023

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Gavi Shankar Sharma S.D.M.	9413825826	[signature]
2.	Savita, RO, RSPCB, Nagaur	99834-11222	Savita
3.	Tejraj Kumar, AEE, RSPCB, Nagaur	8549828647	[signature]
4.	Shivdayal Godara	9549956601	शिवदयाल
5.	Ravi Kumar [Vibrant techno Lab Pvt. Ltd.]	8005729109	Ravi Kum
6.	अमराराम	9460681721	Ram
7.	श्री मुन्नी गोदारा	9414100777	मुन्नी
8.	श्रीमति सुरजी देवी (सुरजी देवी)		[signature]
9.	रामअवतार अग्रवाल Shri Om Granite	9829072095	Ramavtar
10.	मुकेश अग्रवाल Shri Om Granite	9414011439	mukesh
11.	पुष्पादेवी	8209534731	पुष्पादेवी
12.	ब्रह्मदेव शर्मा	9828249963	ब्रह्म
13.	अजयसिंह	9828708912	[signature]
14.	ज्ञानोगोपुरा ANM	9783767600	[signature]

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री ओम ग्रेनाईट, गांव–सूरजगढ़, तहसील–रियाबडी, जिला–नागौर के "ग्रेनाईट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट एम.एल. नं. 40/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 169512 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल – 1.39711 हैक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 661886 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 5.53438 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–अलनियावास, तहसील– रियांबडी, जिला–नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 02.03.2023

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

15.	राजेन्द्र कुमार प्रजापत	9828270310	[signature]
16.	रामनिवास कांसानिया पटवारी	9950360816	[signature]
17.	नेमीचन्द		नेमीचन्द
18.	ओमप्रकाश	उपसरपंच	[signature]
19.	सुमित्रा	9079697473	सुमित्रादेवी
20.	मन्जु कवंर	7568469912	मन्जु
21.	सुनिता	8441927853	सुनिता
22.	गायत्री देवी	8107108944	गायत्री देवी
23.	फरीदा	9664021562	फरीदा
24.	कंचनदेवी	8875404697	कंचनदेवी
25.	सरोज वार्ड पंच	9610548133	सरोज
26.	सुरेन्द्र कुमार आर्य	7976676653	सुरेन्द्र
27.	हीरालाल आचार्य	9672083371	[signature]
28.	संतोष वोरा ANM - S/C सुरजगढ़	9983619392	[signature]
29.	रवि	8005510377	रवि

मैसर्स श्री ओम ... अनुमानित

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री ओम ग्रेनाइट, गांव–सूरजगढ़, तहसील–रियाबडी, जिला–नागौर के "ग्रेनाईट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट एम.एल. नं. 40 / 2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 169512 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल – 1.39711 हैक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 661886 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 5.53438 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–अलनियावास, तहसील– रियांबडी, जिला–नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 02.03.2023

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

30.	चन्द्रकला पारीक (ग्राम साथिन)	7014740989	चन्द्रकलापारीक
31.	दानसिंह रावत [illegible]		दानसिंह
32.	केवलाराम गुर्जर		केवलाराम
33.	भैराराम		
34.	कासूराम		
35.	रामकरण	8741890474	रामकरण
36.	पुरणा		पुरणा
37.	प्रेमच		प्रेमच
38.	अनिता मेघवाल	7568650620	अनिता मेघवाल
39.	रूपाराम	9783343615	रूपाराम
40.	रतनी		
41.	जालमसिंह	8890846578	जाल
42.	सुरेन्द्र बड़ियार	9636238001	[illegible]
43.	सुरेश आगींड	8290187750	@chati
44.	दिनेश	7297017321	दिनेश

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स श्री ओम ग्रेनाईट, गांव–सूरजगढ़, तहसील–रियाबडी, जिला–नागौर के "ग्रेनाईट स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट एम.एल. नं. 40/2022, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 169512 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल – 1.39711 हैक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 661886 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 5.53438 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव–अलनियावास, तहसील– रियांबडी, जिला–नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 02.03.2023

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

45.	[illegible]	8619 829922	[illegible]
46.	[illegible]	8104304128	[illegible]
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			

ट्रेन में मिली बालिका को चाइल्ड हेल्प टीम को सौंपा

[illegible]

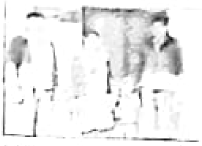

[illegible]

रिफ्लेक्टर लगाए, सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

[illegible]

शिविर में 430 ग्रामीणों का जांचा स्वास्थ्य

[illegible]

पेयजल लाइन से छह अवैध कनेक्शन हटाए

[illegible]

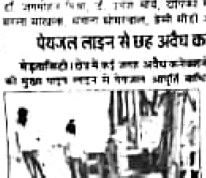

[illegible]

पांच दिन से सड़कों पर बह रहा सीवरेज का नाला

[illegible]

[illegible]

फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति पर जोर

जिले के प्रभारी मंत्री यादव ने ली अधिकारियों की बैठक

नागौर। कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक में बात करते प्रभारी मंत्री।

नवज्योति/नागौर

जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री यादव ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणा और फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की और प्रगतिपरक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क व अन्य [illegible] निर्माण कार्यों पर चर्चा करते हुए सड़कों के पेंचवर्क कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। [illegible]

निरस्त फसल बीमा पॉलिसियां बहाल कराने की उठाई मांग

नवज्योति/नागौर

[illegible]

बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों ने सौंपा ज्ञापन

[illegible]

रामस्वरूप और देवेन्द्र के नाम खुली 25-25 हजार की लॉटरी

किसान उपहार योजना की लॉटरी निकाली

नवज्योति/मेड़तासिटी

कृषि उपज मंडी में किसान उपहार योजना की लॉटरी शुक्रवार को मंडी प्रशासक एवं एसडीएम [illegible] कृषि उपज मंडी समिति सचिव राजेन्द्र कुमार [illegible] की मौजूदगी में निकाली गई।

मंडी समिति सचिव राजेन्द्र कुमार [illegible] ने बताया कि योजना के तहत एक जुलाई 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक जारी ई-नाम के माध्यम ई-पेमेंट व विक्रय पर्ची पर जारी 265 कूपन [illegible] पर 3727 कूपन जारी किए गए, जिनकी लॉटरी निकाली गई। [illegible] प्रथम पुरस्कार 25 हजार, द्वितीय पुरस्कार 15 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 10 हजार रुपए किसानों को प्रदान किए गए। [illegible] लॉटरी में प्रथम किसान रामस्वरूप, द्वितीय [illegible], तृतीय [illegible] रहे। इसी प्रकार ई-पेमेंट लॉटरी में प्रथम देवेन्द्र [illegible], द्वितीय [illegible], तृतीय [illegible] रहे।

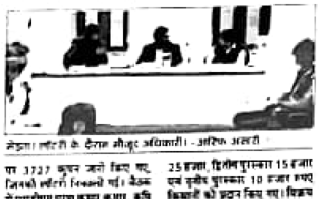

मेड़ता। लॉटरी के दौरान मौजूद अधिकारी। - आरिफ अंसारी

पूर्व पालिका चेयरमैन थानवी ने असहाय मृतका का कराया अंतिम संस्कार

मेड़तासिटी। [illegible]

[illegible]

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को, तैयारियों पर चर्चा

नवज्योति/नागौर

[illegible]

[illegible]

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मेड़तासिटी। [illegible]

प्रदेश महासचिव पद पर डूडी एवं सांखला ने भरा नामांकन

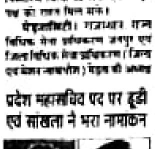

सुनील डूडी एवं अनिल सांखला

मेड़तासिटी। [illegible]

फांसी का फंदा लगा दो युवकों ने की आत्महत्या

पत्नी को फोन कर बुलाया, घर आई तो फंदे से लटका मिला शव

[illegible]

मंडी समाचार [illegible] 21000 से 32800, [illegible] 5000 से 5850, मूंग 6500 से 8551, [illegible] 12000 से 15800, [illegible] 11000 से 17000, [illegible] 10000 से 14000, [illegible] 3000 से 5100, [illegible] 5500 से 5951, [illegible] 4500 से 5100, [illegible] 3800 से 4650, [illegible] 4800 से 6300, [illegible] 5000 से 6200 [illegible]। मेड़तासिटी। मूंग 6500 से 8600, [illegible] 4550 से 4677, [illegible] 9000 से 11000, [illegible] 13000 से 15250, [illegible] 5965, [illegible] 4750 से 5050, [illegible] 27000 से 33000, [illegible] 5600 से 5912, [illegible] 13000 से 14000, [illegible] 4500 से 8000, [illegible] 6500 से 7500, [illegible] 5500 से 6300, [illegible] 8600 से 9000, [illegible] 1600 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

सदस्य सचिव (अधिक), तकनीकी अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

सदस्य (अधिक), तकनीकी अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

सदस्य (अधिक), तकनीकी अधिकारी

Rajasthan Tourism Development Corporation Limited

Notice Inviting Bid

Executive Director
RTDC Limited

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

ICICI Bank

Whereas

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1	[illegible]	Flat No. 201, 2nd Floor, Tower [illegible], Block E, [illegible] Enclave, [illegible] Bhiwadi, January 17, 2023	[illegible]	[illegible] Bhiwadi

Date: January 21, 2023
Place: Bhiwadi

Authorized Officer
ICICI Bank Limited

Varthana Finance Private Limited

(Formerly known as M/s. Thirumeni Finance Private Ltd.)

Registered Office at : No. 5BC-110, Varanashi, 3rd Floor, Outer Ring Road, Service Road, 3rd Block, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore-560043. Website www.varthana.com. Email: care@varthana.com Phone: [illegible]. Branch Office: Office No. - 1st Floor, "Shri Vinayak", A 106, Akhaliya Vikas Yojana, Akhaliya Circle, Chopasni Road, Jodhpur 342003.

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

[illegible]

Authorised Officer, Varthana Finance Private Limited

Date: 21-01-2023, Place: Bangalore

pnb

Circle Sastra Centre, 3rd Floor, LIC Building, Sub City Centre, [illegible], Udaipur, Rajasthan, Phone: 0294 - [illegible]

DEMAND NOTICE - 13(2) UNDER SARFAESI ACT, 2002

[illegible]

Date: 20.01.2023
Place: Udaipur

Authorised Officer
Punjab National Bank

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

RBL BANK LIMITED

PUBLICATION OF NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

[illegible]

Authorised officer
RBL Bank Ltd.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

सदस्य (अधिक), तकनीकी अधिकारी

ADITYA BIRLA CAPITAL

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266

DEMAND NOTICE

[illegible]

Authorised Officer
(Aditya Birla Housing Finance Limited)

Place: JAIPUR

INDIAN OVERSEAS BANK

E Auction on 10.02.2023

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES MORTGAGED TO THE BANK UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

[illegible] "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" [illegible]

S. No.	Name of the branch / Name of borrower	Details of the Property	Bank Dues (in Lakhs)	Reserve Price (Rs)	EMD (in Rs)	Bid Increment Amount	Date and time of Inspection	Time of e-auction	Nature of possession	Nature of property
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Physical Possession	[illegible]

Authorised officer

WITHDRAWAL OF PUBLICATION DATED 12.01.2023

[illegible] RESIDENTIAL HOUSE CONSTRUCTED ON PATTA NO. [illegible] SITUATED AT BARMER [illegible] RAJASTHAN COMPRISING OF BASEMENT, GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR [illegible] INDIAN EXPRESS - JAIPUR COVERS BARMER - (ENGLISH EDITION) AND [illegible] - JODHPUR COVERS BARMER - (HINDI EDITION) [illegible]

Place: BARMER

Sachidra Finance & Trading Company Ltd.

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

[illegible]

Date: February [illegible], 2023
Place: Bhilwara

Jaipur

राजस्थान राज्य प्रदूषण

राजस्थान
प्लॉट न – 25
611990 टन प्रतिवर्ष (रोम)
आवेदक
पता – 275, मनोहरपुरा, तहसील
जिला –अजमेर (राजस्थान)
प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता
द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम और पता
परिवाद पर विनिश्चय की
संसूचना की समय सीमा

OM Granite 35/2022

OM Granite 40/2022

Sukhi Devi 32/2022